(19)

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0 खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 69/2020

नरेश भारद्वाज एडवोकेट, सूरजगढ मोड, कोर्ट के सामने, बुहाना, जिला झुंझुनूं।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 14.10.2020

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 14.09.2020 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 69/2020 पर दिनांक 15.09.2020 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2020/1367–1368 दिनांक 15.09.2020 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना ने पत्रांक न्याय/2020/197 दिनांक 12.10.2020 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्री नरेश भारद्वाज एडवोकेट बुहाना के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाही गई थी जिसके संबंध मे प्रार्थी को कार्यालय के पत्रांक 173 दिनांक 29.8.2020 के द्वारा सूचना दी जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ द्वारा पत्रांक न्याय/2020/197 दिनांक 12.10.2020 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्री नरेश भारद्वाज एडवोकेट बुहाना के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाही गई थी जिसके संबंध मे प्रार्थी को कार्यालय के पत्रांक 173 दिनांक 29.8.2020 के द्वारा सूचना दी जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 14.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0 खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनू
14/10/2020